

Winsome  
Yarns Limited

Regd. Office : Basement, SCO 13-14-15  
Sector 34-A, Chandigarh – 160022 INDIA  
CIN : L17115CH1990PLC010566  
Phones : +91-172-4612000, 4613000, Fax : +91-172-4614000  
E-mail : [cshare@winsomegroup.com](mailto:cshare@winsomegroup.com)  
Website : winsomeyarns.com



WYL/SECT/  
06.12.2024

**ONLINE FILING**

Script Code : 514348  
Corporate Compliance & Listing Centre  
BSE Limited  
1st Floor, New Trading Ring  
Rotunda Building, P. J. Towers  
Dalal Street, Fort, MUMBAI-400001

Symbol : WINSOME  
Listing Department  
National Stock Exchange of India Ltd  
"Exchange Plaza"  
Bandra-Kurla Complex Bandra (E),  
MUMBAI – 400051

**Sub : COPIES OF NEWSPAPERS PUBLICATION**

**Ref : Announcement under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015**

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith newspapers publications of “Financial Express” (English) and “Jansatta” (Hindi), Chandigarh editions dated 06.12.2024 in which notice of Post-despatch of AGM Notice/ Annual Report to the shareholders have been published. The AGM Notice/ Annual Report to the shareholders have been dispatched on 05.12.2024.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For WINSOME YARNS LIMITED  
(Under CIRP)

RAJPAL S. RATHORE  
Senior Manager (Legal & Secretarial)  
Email: [cshare@winsomegroup.com](mailto:cshare@winsomegroup.com)  
Mobile No. 9855601267

Encl : as above.



NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES
Notice is hereby given that the following share certificate(s) issued by LARSEN & TOUBRO LTD ("the Company") are stated to have been lost or misplaced and the registered share holder(s) applied for issue of duplicate share certificate(s).

Table with columns: Folio No., REGISTERED SHARE HOLDER(S), CERT NO., DIST FROM, DIST TO, EQUITY SHARES. Includes entries for AMEETA SINGH, SANJAY MADHAV KULKARNI, and MADHAV V. KULKARNI (Deceased).

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Code of India)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M/S PAVNI (MP) SOLAR PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS table with columns: Sl. No., Name of Corporate Debtor, Date of Incorporation, etc. Includes details for M/S PAVNI (MP) SOLAR PRIVATE LIMITED.

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Delhi Bench-II has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of M/s PAVNI (MP) SOLAR PRIVATE LIMITED on 03.12.2024 (Order received on 03.12.2024).

SALE NOTICE UNDER INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016

SPG GLOBAL DISTRIBUTION PRIVATE LIMITED - In Liquidation

Table with columns: Sr No, Nature of Business/Asset and Description, Reserve Price (in ₹), EMD (in ₹), Incremental Bid Value (in ₹). Includes details for Corporate Debtor and Assets in parcels.

Terms and Conditions of the E-Auction: 1. The sale is on "As is where is basis", "As is what is basis", "Whatever there is basis", and "No recourse basis".

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2)

Case No.: OA/31/2024
Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 4602747.70/- (application along with copies of documents etc. annexed).

Signature of the Tribunal Authorised to issue summons.
Signature of the Applicant Authorised to issue summons.

Stressed Asset Management Branch Chandigarh
SCO 137-238, Madhya Marg, Sector 6C, Chandigarh-160008

Ref. No. SAM/CHD/8(6)/2024-25 Date: 02-12-2024
Borrowers: 1. M/s Mahabir Techno Limited, Regd. Address :- Village Umri, Thanesar, Kurukshetra on GT Road, Adjacent to Transport Nagar.

SCHEDULE OF THE PROPERTY
House No. 433, Sector 13, Urban Estate, Kurukshetra, Haryana measuring 420 Sq. Meter i.e. 502.32 Sq. Yards vide Sale Deed No. 1449/1 dated 09-07-1992 in the name of Sh. Om Prakash Khurana.

House No. 433, Sector 13, Urban Estate, Kurukshetra, Haryana measuring 420 Sq. Meter i.e. 502.32 Sq. Yards vide Sale Deed No. 1449/1 dated 09-07-1992 in the name of Sh. Om Prakash Khurana.

Public Notice For E-Auction Comply Sale (Appendix - IV A) (Rule 8(6))
Sale of Immovable property mortgaged to IIFL Home Finance Limited (Formerly known as Indus Indira Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL) Corporate Office at Plot No. 58, Udyog Vihar Phase-II, Gurgaon-122015 (Haryana) and Branch Office at: SC02, Leela Bhawan Opp Rajinder Park, Patiala-147001.

Table with columns: Borrower's/Co-Borrower's/Guarantor's, Demand Notice Date and Amount, Description of the Immovable property/Secured Asset, Date of Physical Possession, Reserve Price.

Table with columns: Borrower's/Co-Borrower's/Guarantor's, Demand Notice Date and Amount, Description of the Immovable property/Secured Asset, Date of Physical Possession, Reserve Price.

Table with columns: Borrower's/Co-Borrower's/Guarantor's, Demand Notice Date and Amount, Description of the Immovable property/Secured Asset, Date of Physical Possession, Reserve Price.

Table with columns: Borrower's/Co-Borrower's/Guarantor's, Demand Notice Date and Amount, Description of the Immovable property/Secured Asset, Date of Physical Possession, Reserve Price.

Table with columns: Borrower's/Co-Borrower's/Guarantor's, Demand Notice Date and Amount, Description of the Immovable property/Secured Asset, Date of Physical Possession, Reserve Price.

Table with columns: Borrower's/Co-Borrower's/Guarantor's, Demand Notice Date and Amount, Description of the Immovable property/Secured Asset, Date of Physical Possession, Reserve Price.

Table with columns: Borrower's/Co-Borrower's/Guarantor's, Demand Notice Date and Amount, Description of the Immovable property/Secured Asset, Date of Physical Possession, Reserve Price.

Public Notice For E-Auction For Sale Of Immovable Properties
Sale of Immovable property mortgaged to IIFL Home Finance Limited (Formerly known as Indus Indira Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL) Corporate Office at Plot No. 58, Udyog Vihar Phase-II, Gurgaon-122015 (Haryana) and Branch Office at: SC02, Leela Bhawan Opp Rajinder Park, Patiala-147001.

Table with columns: Borrower's/Co-Borrower's/Guarantor's, Demand Notice Date and Amount, Description of the Immovable property/Secured Asset, Date of Physical Possession, Reserve Price.

Table with columns: Borrower's/Co-Borrower's/Guarantor's, Demand Notice Date and Amount, Description of the Immovable property/Secured Asset, Date of Physical Possession, Reserve Price.

Table with columns: Borrower's/Co-Borrower's/Guarantor's, Demand Notice Date and Amount, Description of the Immovable property/Secured Asset, Date of Physical Possession, Reserve Price.

Table with columns: Borrower's/Co-Borrower's/Guarantor's, Demand Notice Date and Amount, Description of the Immovable property/Secured Asset, Date of Physical Possession, Reserve Price.

Table with columns: Borrower's/Co-Borrower's/Guarantor's, Demand Notice Date and Amount, Description of the Immovable property/Secured Asset, Date of Physical Possession, Reserve Price.

Table with columns: Borrower's/Co-Borrower's/Guarantor's, Demand Notice Date and Amount, Description of the Immovable property/Secured Asset, Date of Physical Possession, Reserve Price.

Table with columns: Borrower's/Co-Borrower's/Guarantor's, Demand Notice Date and Amount, Description of the Immovable property/Secured Asset, Date of Physical Possession, Reserve Price.

Table with columns: Borrower's/Co-Borrower's/Guarantor's, Demand Notice Date and Amount, Description of the Immovable property/Secured Asset, Date of Physical Possession, Reserve Price.

For Winsome Yarns Limited (Under CIRP)
Dated: December 06, 2024
Place: Chandigarh



# कांगड़ा के सूबेदार मेजर संदीप अवस्थी पंचतत्व में विलीन

## नगालैंड के दीमापुर में हृदयाघात से हो गया था निधन

धर्मशाला, 5 दिसंबर (जनसत्ता)।

असम राइफल के सूबेदार मेजर संदीप अवस्थी गुरुवार को कांगड़ा जिले के देहरा हलके के पैतृक गांव हरिपुर में पंचतत्व में विलीन हो गए। अवस्थी का मंगलवार को नगालैंड के दीमापुर में हृदयाघात से निधन हो गया था। गुरुवार सुबह उनकी पार्थिव देह पैतृक गांव पहुंची।

नम आंखों के साथ बेटी सुधांशी ने पिता संदीप अवस्थी की देह को मुखाग्नि दी। सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के इस मौके पर शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के लिए एसडीएम शिल्पी बेक्टा के साथ देहरा विधानसभा हलके की कांग्रेस की विधायक और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर भी मौजूद



बेटी सुधांशी को राष्ट्रीय झंडा सौंपते सेना के अधिकारी।

थीं। 1992 में असम राइफल में भर्ती होने के बाद 32 साल के सेवाकाल के दौरान सूबेदार मेजर अवस्थी पूर्वोत्तर के कई कठिन इलाकों में तैनात रहे। बेटी सुधांशी शर्मा ने कहा कि 10 से 15 दिन पहले पापा डेढ़ महीने की छुट्टी

काट कर गए थे और रोज उनका फोन आता था लेकिन मंगलवार को जब फोन आया तो उन्होंने बात नहीं की, बल्कि सेना के अधिकारी ने बात की और उनके देहांत की सूचना दी।

भयावह

कुल्लू में तलोगी के साथ लगते बिजली महादेव पहाड़ के जंगल में लगी आग।

## बस के टायर के नीचे आने से वृद्ध महिला की मौत

कुल्लू, 5 दिसंबर (जनसत्ता)।

कुल्लू जिला के पुलिस थाना निरमंड के अंतर्गत एक वृद्ध महिला को बस के नीचे आ जाने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही निरमंड पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को हिरासत में लिया है। पुलिस

उपाधीक्षक आनी चंद्रशेखर कायथ ने बताया कि एक निजी बस बागीपुल से रामपुर जा रही थी। एक 80 वर्षीय महिला अपनी बेटी को बस में बिठाने आई थी, बेटी तो बस में बैठ गई लेकिन महिला बस के पिछले टायर के नीचे आ गई और मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक महिला की पहचान मनी देवी के रूप में हुई है।

## सरकार ने पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की : सुक्खू

शिमला, 5 दिसंबर (ब्यूरो)।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को समारोह में अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता 21 खिलाड़ियों को 14.77 करोड़ रुपए की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की। उन्होंने जिला ऊना से संबंध रखने वाले निषाद कुमार को 7.80 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की। निषाद ने टोक्यो पैरालंपिक 2022 में रजत पदक, पेरिस पैरालंपिक 2024 में रजत पदक, पैरा एशियाई खेलों चीन-2023 में स्वर्ण पदक तथा वर्ल्ड गेम्स पुर्तगाल 2022 में रजत पदक हासिल किया था।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को शिमला में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के संघर्ष को उचित मान-सम्मान दे रही है। राज्य सरकार ने पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है ताकि खिलाड़ी प्रोत्साहित हों और युवा खेलों के साथ जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मंडी जिला से संबंध रखने वाले अजय कुमार को 2.50 करोड़

## 21 खिलाड़ियों को प्रदान की 14.77 करोड़ की पुरस्कार राशि



रुपए की नकद राशि प्रदान की। अजय कुमार ने पैरा एशियाई खेलों चीन 2023 में रजत पदक जीता था। उन्होंने सिरमौर जिले की कबड्डी खिलाड़ी रिंतु नेगी को 33.32 लाख रुपए प्रदान किए। रिंतु नेगी ने एशियाई खेलों चीन 2023 में भारतीय कबड्डी टीम की कप्तान होते हुए स्वर्ण पदक जीता था। रिंतु नेगी ने एशियाई खेलों जकार्ता 2018 में भी रजत पदक जीता था।

सिरमौर जिला की कबड्डी खिलाड़ी कुमारी पुष्पा को भी 33.32 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की। कुमारी पुष्पा एशियाई खेलों चीन 2023 में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय कबड्डी टीम का हिस्सा थीं। सिरमौर जिला की कबड्डी खिलाड़ी कुमारी सुषमा शर्मा को भी इसी प्रतिस्पर्धा के लिए 33.32 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।

बिलासपुर जिला की कबड्डी खिलाड़ी कुमारी निधि शर्मा को भी इसी प्रतिस्पर्धा के लिए 33.32 लाख रुपए प्रदान किए गए। सोलन जिला की कबड्डी खिलाड़ी कुमारी विजिता भारतीय कबड्डी टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की। शिमला की क्रिकेट खिलाड़ी कुमारी रेणुका सिंह ठाकुर को राष्ट्रमंडल खेलों 2022 बर्मिंघम (इंग्लैंड) में रजत पदक हासिल करने के लिए 13.32 लाख रुपए प्रदान किए। उन्होंने हमीरपुर जिला के विकास ठाकुर को राष्ट्रमंडल खेलों 2022 बर्मिंघम (इंग्लैंड) में भारोत्तोलन एकल स्पर्धा में रजत पदक जीतने के लिए दो करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया।

मुख्यमंत्री ने एशियाई खेलों 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे ऊना जिला के कबड्डी खिलाड़ी विशाल भारद्वाज को 33.32 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की। उन्होंने शिमला जिला की फेंसिंग खिलाड़ी ज्योतिका दत्ता को एशियाई खेलों चीन 2023 और एशियाई खेलों 2018 जकार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन लाख रुपए प्रदान किए। उन्होंने बिलासपुर जिला की हैंडबाल खिलाड़ी कुमारी दीक्षा, कुमारी शालिनी

ठाकुर, कुमारी प्रियंका ठाकुर, कुमारी निधि शर्मा, सोलन जिला की कुमारी मिताली शर्मा, कुमारी भावना और कुमारी मेनका को एशियाई खेलों चीन 2023 में हैंडबाल खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन-तीन लाख रुपए प्रदान किए। उन्होंने मंडी जिला से संबंध रखने वाली कुमारी अंजलि देवी को पैरा एशियाई खेलों चीन 2023 में बोशिया पैरा खेल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की। शिमला की क्रिकेट खिलाड़ी कुमारी रेणुका सिंह ठाकुर को राष्ट्रमंडल खेलों 2022 बर्मिंघम (इंग्लैंड) में रजत पदक हासिल करने के लिए 13.32 लाख रुपए प्रदान किए। उन्होंने हमीरपुर जिला के विकास ठाकुर को राष्ट्रमंडल खेलों 2022 बर्मिंघम (इंग्लैंड) में भारोत्तोलन एकल स्पर्धा में रजत पदक जीतने के लिए दो करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया।

मुख्यमंत्री ने मंडी जिले के आशीष कुमार को राष्ट्रमंडल खेलों 2022 बर्मिंघम (इंग्लैंड) में मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा में प्रतिनिधित्व करने के लिए पांच लाख रुपए तथा हमीरपुर जिले के विजय कुमार को दो लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की।

## मंडी के वकीलों ने मंडलायुक्त के खिलाफ किया प्रदर्शन

मंडी, 5 दिसंबर (जनसत्ता)।

मंडी बार एसोसिएशन के सदस्यों ने मंडलायुक्त मंडी पर एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ गुरुवार को शहर में प्रदर्शन किया व अदालतों का बहिष्कार किया। चौहट्टा बाजार में रैली की।

बार एसोसिएशन के प्रवक्ता वकील आकाश शर्मा ने बताया कि यह प्रदर्शन प्रधान दिनेश सकलानी की अगुवाई में किया गया। मंडलायुक्त मंडी की तानाशाही कार्यप्रणाली के खिलाफ वकीलों ने नारेबाजी की तथा प्रदेश सरकार से मांग उठाई कि मंडलायुक्त के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए।

मंडलायुक्त के रवैये की कड़ी निंदा करते हुए वकीलों ने यह भी चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

बार एसोसिएशन के प्रधान दिनेश सकलानी ने इस मुद्दे को लेकर संघर्ष समिति का गठन किया। इसमें वकील डीसी गुलेरिया, विजय कानव, अनिल उरुन, भीम ठाकुर व अजय ठाकुर होंगे। प्रधान दिनेश सकलानी भी इसमें रहेंगे व सचिव अंकुरवीप सदस्य होंगे। यह संघर्ष समिति इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व प्रशासनिक न्यायाधीश के साथ मिलने जाएगी व मंडलायुक्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेगी।

## अनियंत्रित होकर निजी बस कार के ऊपर पलट्टी, महिला की मौत

धर्मशाला, 5 दिसंबर (जनसत्ता)।

कांगड़ा जिले में धर्मशाला-नगरोटा बगवां राजमार्ग पर सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई और उनका बेटा घायल हो गया। मृतक महिला की शिनाख्त मशेंटली पटियार की निवासी बिता देवी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मशेंटली निवासी चंदन अपनी कार को घर से बाहर निकाल रहा था और मां बिता देवी उसकी मदद कर रही थी। लेकिन उसी दौरान धर्मशाला से मनाली जा रही निजी बस सामने से आ रही बस को पास देते हुए अचानक अनियंत्रित होकर चंदन की कार के ऊपर पलट गई।

हादसे के दौरान मां बिता की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बेटा चंदन कार में ही फंस गया। उसके बाद मशीनों की मदद से दो घंटे की कड़ी



मशक्कत से से उसे बाहर निकालकर टांडा चिकित्सा कालेज में भर्ती किया गया। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक अरुण कुमार भी मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचे यातायात प्रभारी राजिंदर सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि घायल चंदन की हालत अब खतरे से बाहर है।

## बिना अनुमति चल रहे खनन कार्य को किया गया बंद

शिमला, 5 दिसंबर (ब्यूरो)।

लाहौल और स्पीति के छत्रु क्षेत्र में वन मंजूरी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना चल रहे एक स्टोन क्रशर को बंद कर दिया गया। सुमदो-काजा-ग्राम्फू में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है।

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट केलांग रजनीश शर्मा के अनुसार निर्माण के लिए जिम्मेदार कंपनी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त

किए बिना 'क्रशर और हाट-मिक्सिंग प्लांट' स्थापित और संचालित किया था।

एसडीएम ने कहा कि 'क्रशर और हाट-मिक्सिंग प्लांट' को बंद कर दिया है क्योंकि वे प्रदूषण बोर्ड से उचित अनुमति के बिना और वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कंपनी ने वन भूमि पर क्रशर स्थापित किया था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव के आदेश के बाद कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि खनन अधिकारी को एक पत्र

भेजा जाएगा, जो कुचली गई सामग्री का आकलन करेगा और नियमों के अनुसार जुर्माना लगाएगा। क्रशर संचालकों को नोटिस जारी किया था और शिमला कार्यालय को रपट भेजी थी, जिसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपमंडल अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा, बंद करने के आदेश दो दिसंबर को प्राप्त हुए थे। अधिकारियों ने कहा कि आवश्यक अनुमति प्राप्त होने के बाद क्रशर परिचालन फिर से शुरू कर सकता है।

## हत्या के दो साल बाद आरोपी गिरफ्तार

शिमला, 5 दिसंबर (ब्यूरो)।

हमीरपुर में हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को शिमला जिले में गिरफ्तार किया गया, जो दो साल से फरार था, हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि अजय कुमार उर्फ गौरा को सावदा गांव से पकड़ा गया, जहां वह फर्जी पहचान के तहत मजदूर के रूप में काम कर रहा था। उस पर सात नवंबर, 2022 को लाहल्दी गांव में अपने चचेरे

भाई के दादा की लाठी से पीट-पीटकर कथित तौर पर हत्या करने का आरोप है। उसने चचेरे भाई की पत्नी को भी घायल कर दिया, जो करीब एक महीने तक अस्पताल में भर्ती रही।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इसके बाद वह अपराध स्थल से भाग गया और तब से पकड़ से बच रहा था। उन्होंने कहा कि 2022 में ग्रामीणों ने कुमार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दोसड़का में सड़क जाम कर दी थी।

**विनसम यार्न्स लिमिटेड (सीआईआरपी के तहत)**  
पंजीकृत कार्यालय: बेसमेंट, एससीओ 13-14-15, सेक्टर 34-ए, चंडीगढ़-160022 (भारत) CIN: L17115CH1990PLC010566  
टेली: +91-172-4612000, 4613000, फैक्स: +91-172-4614000  
वेबसाइट: [winsomeyarns.com](http://winsomeyarns.com), ई-मेल: [cshare@winsomegroup.com](mailto:cshare@winsomegroup.com)

**वार्षिक आम बैठक की सूचना**

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 27 दिसंबर, 2024 को दोपहर 02:30 बजे (वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा ('वीसी') या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओवीएम')) के माध्यम से कथित एजीएम आयोजित होने वाली में विनिर्दिष्ट व्यापार को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र 5 मई, 2020 के साथ पंजित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 13 जनवरी, 2021 और 28 दिसंबर, 2022 के परिपत्रों, 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 और 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और सेबी द्वारा जारी (इसके बाद सामूहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप में संदर्भित) परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर 2024 के साथ पंजित सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर 2023; परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 (सामूहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) कंपनियों को सदस्यों को एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओवीएम) के माध्यम से एजीएम/एजीएम आयोजित करने की अनुमति है। उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम वीसी/ओवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम के लिए माना गया स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। वीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम बुलाने के नोटिस में उल्लिखित हैं।

कंपनी ने 05 दिसंबर, 2024 को लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एजीएम की सूचना वाले ईमेल उन सदस्यों को भेजे हैं, जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी या कंपनी के साथ पंजीकृत हैं। एमसीए परिपत्रों के अनुरूप, एजीएम नोटिस की भौतिक प्रतियां नहीं भेजी जा रही हैं और एजीएम नोटिस केवल ईमेल के माध्यम से भेजा गया है।

जिन सदस्यों को नोटिस नहीं मिला है, वे इसे कंपनी की वेबसाइट [www.winsomeyarns.com](http://www.winsomeyarns.com) से डाउनलोड कर सकते हैं या कंपनी सचिव को ऊपर बताए गए ईमेल आईडी या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर लिखकर इसकी कॉपी के लिए अनुरोध कर सकते हैं। एजीएम को उपरोक्त सूचना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) और बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है, जहां कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं।

जिन शेयरधारकों को ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी से [cshare@winsomegroup.com](mailto:cshare@winsomegroup.com) या [swa-pann@linkintime.co.in](mailto:swa-pann@linkintime.co.in) (डीमैट/रिजिस्टर्ड शेयरों के मामले में) या लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('आरटीए') से [swa-pann@linkintime.co.in](mailto:swa-pann@linkintime.co.in) (भौतिक शेयरों के मामले में) पर संपर्क करें और अपने ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए सभी शेयरधारकों द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड और पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ भेजें।

वीसी/ओवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग में भाग लेने या ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में वोट डालने के तरीके के बारे में एजीएम बुलाने की सूचना में जानकारी दी गई है। इस सूचना में उन शेयरधारकों के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल के बारे में भी निर्देश दिए गए हैं, जिनके पास भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं, जिन्होंने कंपनी या अपने संबंधित डीपी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है।

वीसी/ओवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने भौतिक शेयरों को डीमैट रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करें।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियम 44 और आम बैठकों पर सचिवीय मानकों ('एसएस-2') द्वारा संशोधित किया गया है, कंपनी सदस्यों को एजीएम में निर्धारित व्यवसाय पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एजीएम के आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं ली हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 24 दिसंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और गुरुवार, 26 दिसंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। कट-ऑफ तिथि, शुक्रवार 20 दिसंबर, 2024 को भौतिक या अपभौतिक रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट दे सकते हैं या एजीएम में वोट कर सकते हैं। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि पर कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के माध्यम से मतदान की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। ई-वोटिंग/एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में दी गई है।

जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। ई-वोटिंग/एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में दी गई है। कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेजने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2024 तक शेयर धारण करता है, वह [swa-pann@linkintime.co.in](mailto:swa-pann@linkintime.co.in) या [cshare@winsomegroup.com](mailto:cshare@winsomegroup.com) पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

इसके अलावा, एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने पहले ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल दिया है, वे एजीएम में भाग लेने के हकदार होंगे, लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा। मेसर्स गिरीश मदान एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज के सीएएस गिरीश मदान (सीओपी संख्या 3577) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्क्रीनिंग/अडजस्ट नियुक्त किया गया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने 24 जनवरी, 2022 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से यह अनिवार्य कर दिया है कि प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के सभी अनुरोधों, जिनमें ट्रांसमिशन और ट्रांसपोज़िशन अनुरोध शामिल हैं, को केवल डीमैट/रिजिस्टर्ड फॉर्म में संचालित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने और डीमैट/रिजिस्ट्रेशन के विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास मौजूद शेयरों को भौतिक रूप में डीमैट/रिजिस्ट्राइज करें। सदस्य इस संबंध में कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार इसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता विनियमन, 2015) के विनियमन 42(5) के अनुसार सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से शनिवार, 21 दिसंबर, 2024 से शुक्रवार, 27 दिसंबर, 2024 (दोनों दिन समाहित) तक बंद रहेंगी।

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य ईमेल: [swa-pann@linkintime.co.in](mailto:swa-pann@linkintime.co.in) पर आरटीए से संपर्क कर सकते हैं या - टेलीफोन: 022-4918 6000 या कंपनी से, ईमेल [cshare@winsomegroup.com](mailto:cshare@winsomegroup.com) पर संपर्क कर सकते हैं।

**कृते विनसम यार्न्स लिमिटेड (सीआईआरपी के तहत)**  
हस्ता/- मनीष बागरोडिया  
निदेशक (निलंबन के तहत शक्ति)  
दिनांक: 06 दिसंबर, 2024  
स्थान: चंडीगढ़  
डीआईएन: 00046944

**ग्राम पंचायत काण्डी कमरूनाग**  
विकास खंड गोहर तहसील चच्चोट जिला मंडी (हि०प्र०)

**निचिदा आमन्त्रण सूचना**

प्रस्ताव सं० 04 :- पाइपों की कुटेशन वर्ष 2024-2025 के लिए आमंत्रित करने बारे।  
सर्व सम्पत्ति को द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत काण्डी कमरूनाग लोहे को जी.आई पाइपों का कार्य करवाना चाहती है इसलिए सभी कुटेशनदाताओं को सूचित किया जाता है कि जी.आई पाइपों की पूरी फिटिंग का मैटेरियल व लेंबर को कुटेशन पंचायत को जी.आई पाइप सहित दे। कुटेशन 10.12.2024 को ग्राम पंचायत काण्डी कमरूनाग में पहुंच जाना चाहिए तथा कुटेशन दिनांक 11.12.2024 को प्रातः 11:00 बजे पंचायत कार्यालय में खोलनी जायेगी। कुटेशनदाताओं को उपस्थित होना जरूरी है, क्योंकि कुटेशन पास होने पर कोई भी कुटेशनदाताओं को आपर्ति नहीं माना जाएगा। कुटेशन के साथ रुपये 30,000/- को बैंक भी पंचायत में करवाना होगा। कोई जरूरी कार्य होने पर पंचायत कुटेशन खोलने की तारीख आगे भी बतवा सकती है।  
सचिव, ग्राम पंचायत काण्डी कमरूनाग  
वि.ख. गोहर, जिला मंडी (हि.प्र.)